प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक- 19 अगस्त , 2015**

विषय- जनपद मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी में जिला कारागार/जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्गत मूल स्वीकृति/पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30430/नम-2, दिनांक- 27 जुलाई,2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-128/2015/362/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(बी-2), दिनांक- 19 जून, 2015 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी में जिला कारागार/जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार अवशेष रू0 96,27,800/- (रूपया छियान्नवे लाख सत्ताइस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला कारागार/जनपद न्यायालय का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	जिला कारागार, मुरादाबाद एवं जनपद न्यायालय	76.28(पु0)	29.954	46.326
2	जिला कारागार गोरखपुर एवं जनपद न्यायालय	68.62(पु0)	41.240	27.380
3	जिला कारागार, फिरोजाबाद एवं जनपद न्यायालय	41.24	29.954	11.286
4	जिला कारागार, मैनपुरी एवं जनपद न्यायालय	41.24	29.954	11.286
	योग-	**227.38**	**131.102**	**96.278**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 23.01.2013 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.6.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

<u>संख्या- 165/2015/1001(1)/22-4-2015-तददिनांक-</u>

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in